प्रेस विज्ञप्ति
<u>13.06.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने पटना आधारित ठेकेदार रिशु श्री के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 12.06.2025 को पटना, मुजफ्फरपुर, सूरत और पानीपत में 09 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान कई अपराध-संकेती साक्ष्य और दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

ईडी ने रिशु श्री व अन्य के खिलाफ बिहार की स्पेशल विजिलेन्स यूनिट (एसवीयू) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। रिशु श्री, जिनकी फर्में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों, जैसे जल संसाधन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, शहरी विकास, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बीयूआईडीसीओ), शिक्षा, भवन और निर्माण, और ग्रामीण निर्माण विभाग में ठेकेदारों/उपठेकेदारों के रूप में काम करती हैं, पर आरोप है कि अवैध व्यक्तिगत लाभ के लिए निविदाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी सांठगांठ है।

वर्तमान तलाशी कार्रवाई रिशु श्री से जुड़े कुछ व्यक्तियों और ट्रैवल एजेंटों पर की गई है।

इससे पूर्व, इस मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों के पटना स्थित आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इन तलाशियों में कुल 11.64 करोड़ रुपये (लगभग) नकद, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए थे।

आगे की जांच जारी है।